हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 67

बुधवार, 26 फरवरी, 2020/7 फाल्गुन,1941(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष श्री हंस राज जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा संबोधन

"बजट सत्र में भाग लेने के लिए मैं सभी माननीय मंत्रिगण व सदस्यों, विशेषकर सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी व नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बजट सत्र की शुरुआत है। मेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह रहेगा की सत्र के दौरान अपने-अपने क्षेत्र के विषय रखें माननीय सदन की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण तरीके से चले ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह रहेगा।"

1. शोकोद्गार

निम्नलिखित ने स्वर्गीय सुश्री कृष्णा मोहिनी पूर्व सदस्या, हिमाचल प्रदेश विधान सभा व श्रीमती आशा कुमारी, माननीय सदस्या की माता जो तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रही हैं, के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्गार व्यक्त किए-

1. **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री**
2. **श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष**
3. **डॉ0 राजीव सैजल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री**
4. **श्री राकेश सिंघा**
5. **श्री राकेश पठानिया**
6. **श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु**
7. **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री**
8. **श्री लखविन्द्र सिंह राणा**
9. **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल**
10. **श्री परमजीत सिंह**
11. **श्री विक्रमादित्य सिंह**

माननीय उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित शब्दों में अपने शोकोद्गार व्यक्त किए-

> "स्वर्गीय सुश्री कृष्णा मोहिनी पूर्व सदस्या और श्रीमती आशा कुमारी, सदस्या की माता के निधन पर जो शोकोद्गार सदन में प्रस्तुत किए गए, उनमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूँ तथा शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।"

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में खड़े होकर कुछ क्षण के लिए मौन रखा गया।)

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 888 व 1183 (स्थगित) पर सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए व मुख्य मंत्री ने उत्तर दिए।

(प्रश्न संख्या 1183 स्थगित के उत्तर पर असंतुष्टि प्रकट करते हुए 12.02 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। 12.04 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्य पुनः सदन में लौट आए।)

तारांकित प्रश्न संख्याः 2286 से 2309 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 705 व 714 (स्थगित) तथा 807 से 815 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अध्यक्ष का चुनाव

3. अध्यक्ष के चुनाव हेतु प्रस्ताव

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने** निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

"That Shri Vipin Singh Parmar, a Member of this House be chosen as the Speaker of this House."

श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

"That Shri Vipin Singh Parmar, a Member of this House be chosen as the Speaker of this House."

श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(3) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मंत्री** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

"**That Shri Vipin Singh Parmar,** a Member of this House be chosen as the Speaker of this House."

श्री राकेश पठानिया, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(4) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मंत्री ने** निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

"**That Shri Vipin Singh Parmar,** a Member of this House be chosen as the Speaker of this House."

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, माननीय वन मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

चूंकि सभी प्रस्ताव **श्री विपिन सिंह परमार, सदस्य** को अध्यक्ष चुने जाने से संबंधित थे, इसलिए माननीय उपाध्यक्ष ने केवल प्रथम प्रस्ताव को नियमानुसार सदन में मतदान हेतु प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष ने श्री विपन सिंह परमार, सदस्य के अध्यक्ष चुने जाने की विधिवत घोषणा की।

सदन में सदस्यों द्वारा मेजें थपथपा कर श्री विपिन सिंह परमार के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने का स्वागत किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष ने श्री विपिन सिंह परमार के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें अपनी तथा सदन की ओर से शुभ कामनाएं दीं।

श्री जय राम ठाकुर मुख्य मंत्री तथा श्री मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष ने श्री विपिन सिंह परमार को अध्यक्षपीठ तक ले जाकर आसन पर विराजमान किया।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने श्री विपिन सिंह परमार जी के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें अपनी ओर से तथा सदन की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष, विधान सभा का

पद बहुत ही गरिमामय पद है। मुख्य मंत्री ने श्री विपिन सिंह परमार, अध्यक्ष के राजनीतिक व सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश डाला तथा हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उनकी सेवाओं एवं योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने श्री विपिन सिंह परमार को सर्वसम्मति से हिमाचल प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष चुने जाने पर अपनी व कांग्रेस विधायक दल की ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री परमार जी का व्यक्तित्व इस गरिमामय पद के अनुरूप है। साथ ही, उन्होंने आशा व्यक्त की कि अध्यक्ष के पद पर विराजमान होकर श्री विपिन सिंह परमार विपक्ष को भी अपनी बात रखने के लिए यथोचित समय देंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री ने भी अपनी ओर से श्री विपिन सिंह परमार जी को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

श्री राकेश सिंघा ने श्री विपिन सिंह परमार जी को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वह निष्पक्ष तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने भी माननीय अध्यक्ष को अपनी व अपने दल की ओर से बधाई दी ।

माननीय अध्यक्ष का संबोधन

श्री विपिन सिंह परमार ने अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के आसन पर विराजमान होने पर निम्न शब्दों में अपने विचार रखे-

"आज मुझे जो जिम्मेवारी इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में दी गई है, इसके लिए मैं सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों, चाहे वे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों, का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष पद पर आसीन कर आपने जो सम्मान मुझे दिया है इसके लिए मैं समूचे सदन का बहुत आभारी हूं और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया उसे माननीय सदन के नेता माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने आगे बढ़ाया और माननीय मंत्रियों ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित

किया तथा माननीय विधायकों ने इसका समर्थन किया; मैं इसके लिए आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

मैं नेता प्रतिपक्ष का और आपके समूचे दल का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। पूर्व में रहे मुख्य मंत्री माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी यहां पर नहीं है, मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा की परम्पराएं रही हैं, उन परम्पराओं को आपने जिंदा रखा है।

अपने वक्तव्य में कई वक्ताओं ने यहां पर अपने विचार रखे हैं। मैं यह जानता हूं कि हिमाचल प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से छोटा-सा प्रदेश है लेकिन परम्पराओं को बनाने में यह प्रदेश हिंदुस्तान को दिशा और दर्शन देता है। मैं यह कह सकता हूं कि उसी स्वरूप में इस माननीय सदन की यह महान् परम्परा है। यह परम्परा हमने नहीं बनाई है; यह तब से बनी हुई है जब से हिमाचल प्रदेश बना है। ये परम्पराएं महान् रही हैं, चाहे सरकार आपकी रही हो या इस तरफ की रही हो। जिन विभूतियों को इस कुर्सी पर बैठकर हिमाचल प्रदेश को शिखर की ओर ले जाने का जब-जब मौका मिला, उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी, इसलिए उन विभूतियों को भी याद करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नेता प्रतिपक्ष ने इसका ज़िक्र यहां पर किया है। इन्होंने अतीत में रहे माननीय सदन के सभी माननीय अध्यक्षों को याद किया है। मैं भी समझता हूं कि अतीत में रहे माननीय सदन के सभी माननीय अध्यक्षों को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोलना, करना और परम्पराओं को आगे बढ़ाना एक कठिन काम है। मैं विधान सभा के ऐसे महान अध्यक्षों को याद करना चाहता हूं।

मैं स्वयं कांगड़ा जिला से संबंध रखता हूं और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। जब भी राजनीतिक दलों ने इस विधान सभा को संचालित करने के लिए अवसर दिया तो उसमें ज़िला कांगड़ा सबसे आगे रहा। वर्ष 1952 में श्री जयवंत राम जी हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने। श्री देश राज महाजन दो बार प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष रहे। श्री कुलतार चन्द राणा जी का संबंध जिला कांगड़ा से था। श्री सरवण कुमार चौधरी मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र से संबंध रखते थे, भले ही वे पालमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे। श्री टी.एस. नेगी सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे और वे इस विधान सभा को 2 बार सुशोभित कर चुके हैं। श्रीमती विद्या स्टोक्स, श्री राधा रमण शास्त्री, श्री कौल सिंह ठाकुर, श्री गुलाब सिंह ठाकुर, श्री जी.आर. मुसाफिर, श्री तुलसी राम, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल और डॉ. राजीव बिन्दल इस माननीय विधान सभा को संचालित कर चुके हैं।

यहां पर चिंता प्रकट की गई कि विपक्ष का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। इस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस आसन पर आपने मुझे बिना किसी भेदभाव व पूर्वाग्रह के बिठाया है, मैं इस आसन को हाज़िर-नाज़िर रखते हुए आश्वस्त करना चाहूंगा कि मेरा आपके प्रति और समूचे सदन के प्रति सम-दृष्टिकोण रहेगा। सत्तापक्ष

की ओर से हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की बात की जाएगी और यह इनकी जिम्मेवारी भी है। आपको भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और इस कुर्सी के माध्यम से आपकी बातों को चुप करवाने की कोशिश नहीं की जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको शालीनता, व्यवहार और वाणी का ध्यान रखना होगा। क्योंकि भाषण में परंपराओं की बातों को दोहराया जा सकता है परंतु व्यवहार उस परंपरा को आगे बढ़ाने में क्या कह रहा है, वह आने वाले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लोग स्वयं बोलना शुरू कर देंगे।

यह सभा कोई आम सभा नहीं है। यहां पर 68 माननीय सदस्य चुनकर आए हैं। मुझे और आप सबको उन हजारों लोगों का आभार प्रकट करना चाहिए जिन्होंने एक संजीदगी, विचार और सोच के साथ हमें यहां चुनकर भेजा है। हिमाचल प्रदेश हिमालय के आंचल में बसा है और पृथ्वी के मानदंडों को पहचान के रूप में हमें अपने जीवन में अपनाना है।

मैं कई बार यह भी सोचता हूं कि जहां पर हम पहुंचे हैं, वहां भाषण कम और व्यवहार ज्यादा बोलता है। व्यवहार बोलने का जो पैमाना है वह व्यक्ति की शालीनता हो सकती है। व्यक्ति कितना भी ज्ञाता हो, व्यक्ति में कितने भी गुण हों, परंतु उसकी बोलने की शैली कैसी है, वह सारा संदेश दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सज्जनों और पत्रकार मित्रों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के कोने-कोने में पहुंचेगा। अध्यक्ष के हाथ में कोई डंडा नहीं होता। यह विधान सभा, परंपरा, नियम और उप-नियमों को ध्यान में रखते हुए संचालित होगी। आप सभी माननीय सदस्य मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। मुझे कुछ नहीं आता। मैं आपसे सीखने के लिए यहां आया हूं इसलिए आपका जो अनुभव है उसे मुझसे ज़रूर शेयर करने की कृपा करें ताकि जिन परंपराओं की हम बात कर रहे हैं उन्हें हम आगे बढ़ा सकें।

हमारे मनीषियों ने भी कहा है कि सभा केवल वही कहलाती है जहां चिंतनशील व ज्ञानवान जन बैठते हैं, जन-कल्याण की बात सोचते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। धर्म को कुछ लोगों ने पूजा पद्धति से जोड़ दिया है। परंतु हमारे विचार में धर्म जीवन को जीने की एक शैली है। जिन्दगी में जो कुछ नियम बनाए गए हैं उन पर चलने के लिए कुछ मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, इसलिए समाज धर्म का हम अवश्य ध्यान रखेंगे। धर्म कर्तव्य के बारे में कहा गया है कि उसे सत्ययुक्त होना चाहिए और सत्य ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का कपट न हो; यही जिंदगी की सच्चाई है।

यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारगर्भित बातें कही हैं। इस कुर्सी को विट्ठल भाई पट्टेल जैसी विभूतियों ने सुशोभित किया है, मैं तो साधारण-सा व्यक्ति हूं और एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूं। मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं। परंतु हां, इतना जरूर है कि संगठन के उस सांचे में मैंने वर्षों से ढलने का

प्रयास किया है जिसका ज़िक्र माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी और आदरणीय राकेश सिंघा जी ने किया है। हमने वर्षों साथ गुजारे हैं और किसी-न-किसी हालात में इकट्ठे रहे हैं; किसी-न-किसी मोड़ पर एक दूसरे के सहारे बने हैं। हमारे विचार और विचारधाराएं भले ही अलग-अलग हो सकती हैं; वह किसी चीज का पैमाना नहीं है क्योंकि सामाजिक सरोकार जीवन में समाप्त नहीं होते। एक व्यक्ति दूसरे के काम कभी भी आ सकता है। उसी सामाजिक परंपरा को हमने आगे बढ़ाना है। मैंने भी कोशिश की है। .. मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है उसे पूर्णरूप से निभाने की कोशिश करूंगा।

हमारी विधान सभा की कुछ परंपराएं हैं, जब इस कुर्सी पर आना है तो उस कुर्सी को छोड़ना पड़ता है। वैसे तो व्यक्ति में मोह हो सकता है, वह व्यक्ति का स्वाभाव है और वह कभी छूटता नहीं परंतु पार्टी का आदेश एक कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि है। आज मुझे इस विधान सभा में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, इसके लिए मैं अपने केन्द्रीय नेतृत्व का, माननीय मुख्य मंत्री जी का और संगठन का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैंने पिछले कल नामांकन भरने से पूर्व अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और मैं चाहूंगा कि इस सदन में अध्यक्ष पद पर बैठकर अपनी जिम्मेवारियों को ठीक से निभा सकूं; तटस्थ रहूं, मैं सभी का हूं और आप सभी मेरे हैं, यह विश्वास होना चाहिए। यह शुरुआत आज और अभी से होनी चाहिए। इसलिए मैं यह संकल्प लेता हूं।

मैंने सभी अध्यक्षों का नाम लिया। आदरणीय राजीव बिन्दल जी यहां से वहां पहुंच गए। मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने 2 वर्षों तक इस विधान सभा को बहुत बढ़िया तरीके से चलाया और सदन को संजो कर रखा। जो परंपराए हैं उनको उन्होंने जीवित रखा। आज उनके पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद यह जिम्मेवारी मुझे दी गई है। आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जी ने इस सदन का संचालन बहुत अच्छे तरीके से किया। हमारे जो नियम हैं, उप-नियम हैं उनकी चर्चा पूरे देश में होती है और जब पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विधान सभा कौन-सी है जहां नियमों को अपनाया जाता है? उसमें हिमाचल प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके लिए अतीत में जो सरकारें रहीं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं।

हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉ0 वाई. एस. परमार को याद करना आज बहुत जरूरी है। माननीय ठाकुर राम लाल जी को याद करना बहुत जरूरी है। माननीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको याद करना बहुत जरूरी है। माननीय प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार मुख्य मंत्री रहे, उनको याद करना बहुत जरूरी है और माननीय शान्ता कुमार जी 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी याद करना बहुत जरूरी है। पिछले 2 वर्षों से माननीय ठाकुर जय राम जी हिमाचल प्रदेश को गतिशील नेतृत्व दे रहे हैं। हिमाचल शिखर की ओर बढ़े, इसके

लिए दिन-रात प्रयास कर रहे हैं, आपको भी याद करना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति को जब-जब मौका मिला, उन्होंने इस विधान सभा की परंपराओं को जीवित रखा है। गर्माहट हो सकती है, चर्चा हो सकती है, पर जो हमारा सामंजस्य है, जो मेल-मिलाप है, उसमें कभी भी किसी प्रकार की दरार न आये। हम मिलकर इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ायेंगे। हमारी जो स्वस्थ्य परम्पराएं हैं, समय की कसौटी पर परखे नियम हैं और इन सबसे बड़ी जो हमारी अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे संस्कार हैं, हमारा व्यवहार है, हमारी बोल-वाणियां हैं, जो परम्पराओं में हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई है मैं समझता हूं कि उसकी रक्षा करने के लिए हम सभी को प्रयत्नशील रहना होगा, क्योंकि 72 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व और कोई नहीं, हम सभी माननीय सदस्य कर रहें हैं। इन परम्पराओं व धरोहरों को जीवित रखने की जिम्मेवारी हमारी है। मेरा आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण बनाये रखने के लिए हम स्वयं अपने अहम को छोड़ेंगे। 'मैं बड़ा, वह छोटा,' 'मैं जो बात कर रहा हूं उसमें सच्चाई है,' इस अहम को छोड़ना बहुत जरूरी है। हम सब अहम को कोसों दूर रखेंगे और आवेश में नहीं आयेंगे। कई बार हम आवेश में आ जाते हैं क्योंकि आवेश में आना, ऊंचे स्वर में बोलना मानव की प्रवृत्ति है। हम भावुकता के जाल में न फंसे। हम कई बार भावुक भी हो जाते हैं और भावुक होकर कई बार ऐसे शब्दों का उच्चारण कर देते है जो ठीक नहीं होते। मेरा कहना है कि तलवार का घाव तो भर सकता है पर वाणी का घाव नहीं भर सकता। इसलिए विवेक, परिपक्वता के साथ अहंकार से कोसों दूर रहने का हम संकल्प आज इस माननीय सदन में लेंगे, यह निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। हमारी वाणी व कर्मों से इस प्रजातन्त्र के मन्दिर को किसी प्रकार का आघात न लगे, और वह लगता तभी है जब हमारी वाणी और हमारा व्यवहार कुछ अलग से बोलता है। इस प्रजातन्त्र के मन्दिर को बनायें रखने की जिम्मेवारी प्रदेश के 72 लाख लोगों की नहीं बल्कि हम 68 चुने हुए प्रतिनिधियों की है, क्योंकि हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सभी इसके लिए सतर्क व जागरूक रहेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कठिन कार्य को निभाने में आप सभी सहयोग देंगे। मैं जानता हूं काम कठिन है। रोल अलग-अलग हो सकता है। मंच पर खड़े होकर भाषण देना आसान है एक मन्त्री के रूप में उत्तर देना व सदस्य के रूप में चर्चा में भाग लेना एक अलग बात है। अध्यक्ष का रोल अलग है और मैं इस रोल को तभी निभा सकता हूं जब आप सभी का मुझे पूर्ण सहयोग मिलेगा। मैं आप से विनती करता हूं कि इस दायित्व को निभाने में आप मेरा पूर्ण सहयोग करें। हम सभी सदन के नियमों, उप-नियमों व परम्पराओं व प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हुए अपने दायित्व को निभायेंगे। हमारे दायित्व व्यक्तिगत, सामाजिक, विधान सभा क्षेत्रों के कार्यों के अलावा जो और भी हैं वह हिमाचल को शिखर की ओर ले जाने के लिए हैं। वह हमेशा हमारे मन-मस्तिष्क में

रहेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। भविष्य इस बात का साक्षी बने कि प्रदेश विधान सभा ने इस सदन की गौरवमयी परंपराओं को अपने कर्त्तव्यों के बल पर आगे बढ़ाया है।

जो विश्वास आप लोगों ने मुझे दिया है उसके लिए मैं माननीय सदन का आभार प्रकट करना चाहता हूं। .. जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है और इसे निभाने के लिए मुझे आप सबका, पक्ष-विपक्ष का और निर्दलीय महानुभावों का सहयोग चाहिए। मुझे पहली बार इस न्याय की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है जिसका जिक्र श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी किया है। मेरा सदैव यह प्रयत्न रहेगा कि मैं न्याय ही करूं और समस्त परम्पराएं, जो मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारियों ने स्थापित की हैं उनका अनुकरण करूं। मेरी बोल-वाणी और व्यवहार अलग हो सकता है परन्तु उनकी बातों का मैं अनुसरण करूं, यह मैं कहना चाहता हूं।

इस बार मैं देख रहा हूं कि लोकतंत्र में जब चुनाव हुए तो वरिष्ठ भी जीत कर आए और काफी नए चहरे भी यहां पर आए हैं। जब नए चहरे आते हैं तो नई स्फूर्ति, नई उमंग और नई समझ भी होती है। .. इन बदली हुई परिस्थितियों में टैकनोलॉजी के इस नए विश्व में नए-नए विषय यहां पर आते हैं। मैं इस माननीय सदन के और आपके विशेषाधिकारों को अक्षुण रखने के लिए हमेशा कोशिश करूंगा। विपक्ष भी आश्वस्त रहे और आपके मन में कभी ऐसी बात न आए। आपके जो विशेषाधिकार हैं उनको मैं अक्षुण रखने के लिए तत्पर रहूंगा। वैसे तो सरकार के माध्यम से आपके अधिकारों को अक्षुण रखने के लिए हमेशा प्रयास किया जाता रहा है। विपक्ष सत्तापक्ष का पूरक है और ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो निःसन्देह एक नया रूप निकलता है। आज मैं इस गरिमामय पद पर सुशोभित हूं तो मैं उन अधिकारों को अक्षुण रखने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। बस आपका सहयोग मिलता रहे और वही मेरी प्रेरणा बन जाएगी।

आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन परीक्षा के क्षणों में मुझे इस योग्य बनाएं कि मैं निष्पक्ष होकर अध्यक्ष पद के दायित्वों को निभा सकूं। आपने मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी है। मैं भगवान को हाज़िर-नाज़िर रखते हुए और पक्ष-विपक्ष को साथ लेकर हिमाचल को शिखर की ओर ले जाने के लिए निरन्तर कोशिश करूंगा।

4. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

5. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जिन्हें सदन द्वारा पारित किया गया है और जिनमें माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. **हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 19);**
2. **हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 1);**
3. **हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 2); और**
4. **हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 3)।**

6. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जो कि अधिसूचना संख्याःएग्र.ए.-बी (2)-5/2014 दिनांक 19.10.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.10.2019 को प्रकाशित हुए, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 62(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट वैटनरी कांऊसिल के वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखी।

7. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2019-2020 का प्रस्तुतीकरण

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुपूरक अनुदान मांगें (प्रथम तथा अन्तिम किस्त) सदन में प्रस्तुत की।

01.20 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार 27 फरवरी, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।